

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 538]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/9/47.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/9/10 दिनांक 30-07-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27-07-2020 द्वारा जिला जांजगीर-चांपा में विद्यमान 121 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 72 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला जांजगीर-चांपा के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/2019/9/11 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10-09-2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3. निर्धारित समयावधि में जिला जांजगीर-चांपा की समितियों के पुनर्गठन हेतु 99 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 01-10-2020 द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर-चांपा को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन दिनांक 09-10-2020 द्वारा 66 दावा/ आपत्तियां अमान्य करने तथा 33 दावा/आपत्तियां मान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है एवं सोसाइटियों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अनुसूचियां प्रेषित की गई हैं।

4. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/ 2019/9/10 दिनांक 30-07-2019 की कड़िका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन दिनांक 09-10-2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 13-10-2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद्वारा जिला जांजगीर-चांपा में विद्यमान 121 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 75 नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संशोधन करने की कार्यवाही हेतु “जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

**जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019**

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जांजगीर-चांपा की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशयित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जाएगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तर्गत कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तर्गत कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019

अनुसूची - एक

क.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसाइटी)
1	2	3	4
1	सरखों	खोखसा	जांजगीर
2	पहरिया	रैनपुर	मड़वा
		मदनपुर	
3	सलखन	गिधा	सेमरा
4	पकरिया	बनाहिल	नरियरा
5	लगरा	पचरी	पामगढ़

6	कोड़ाभाट	मुड़पार (च)	रसौटा
7	किरारी (अकलतरा)	खिसोरा	अकलतरा
8	कोरबी	हरदीविशाल	खिसोरा
		झर्राडीह, भिलाई	बलौदा
9	पिसौद	कुलीपोटा	मड़वा
10	सोठी (चांपा)	अमोदी	बम्हनीडीह
		खपरीडीह	
11	सरहर	सोनियापाठ	सारागांव
12	सक्ती	अमलीटिकरा	रगजा
13	सिरियागढ़	कुसुमझर	डभरा
14	कोटमी (डभरा)	सर्राईपाली	बघौद
		ढेकनाभाठा	
15	धुरकोट (ड)	खैरमुड़ा	बघौद
16	देवरघटा (जै)	गुडरुकला	कैथा

अनुसूची - दो

क.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी	नवीन सोसाइटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	मंहत	मुनुन्द	मुनुन्द, भडेसर, धनेली
2	धुरकोट (नैला)	गौद	गौद, अकलतरी, मौहाडीह, कसौंदी, भादा, गाड़ापाली, पिथमपुर
3	बोड़सरा	बनारी	बनारी, हाथीटिकरा
4	खोखरा		पुटपुरा
5	कुटरा	घुठिया	घुठिया, सेंदरी, खैरा, दर्री
6	अमोदा	कर्रा	कर्रा, दहिदा, हरदी
7	सेमरा	खिसोरा	खिसोरा, मुडपार, कचंदा,
8	तनौद	खोरसी	खोरसी, पड़रिया, देवरी, हड़हा
9	केरा	मिसदा	मिसदा, पचरी, गंगाजल, केसला
10	शिवरीनारायण		करमंदी
11		गोधना	गोधना, कुरियारी, कुकदा, तेन्दुआ, कामता, बोरदा, रिंगनी, बेल्ला
12	लोहसी (पामगढ़)	खरौद	खरौद
13	भिलौनी	डोंगाकोहरौद	डोंगाकोहरौद
14	जेवरा		केसला
15	कोटमी (अकलतरा)	अकलतरी	अकलतरी, झिरिया, मधुवा, पिपरसल्ली
16		सांकर	सांकर, फरहदा, कोसमंदा
17	तरौद	अमोरा	अमोरा, मुरलीडीह, नवापारा (अमोरा)
18	तिलई	चोरभट्टी	खपरी, जोगी डीपा, चोरभट्टी
19	कुम्हारीकला	दारंग	दारंग, पोंड़ीकला, पोंड़ीखुर्द, पेटफोरवा, हर्राभाठा

20	कमरीद	कोसमंदा	कोसमंदा
21	सिवनी (चांपा)		बहेराडीह
22	मड़वा (चांपा)	उच्चभिट्टी	महुदा, अमझर, उच्चभिट्टी, बालपुर
23	करनौद	पोड़ीशंकर	पोड़ीशंकर, कनकपुर, कपिस्ता, परसापाली, रींवाडीह
24		लखाली	लखाली, लखुरी, मौहाडीह, कोनियापाठ
25	भोथिया	डोंगिया	डोंगिया, सेंदुरस
26	दर्राभाठा	अकलसरा	अकलसरा, केकराभाठा
27	डूमरपारा	लवसरा	लवसरा, रानीगांव, बेल्हाडीह, भक्तूडरा, जेठा, भद्रीपाली, साजाडरा, परसदा कला
28	आमगांव	दतौद	दतौद, पथर्रा
29	ठठारी		कोटेतरा
30	खजुरानी	भोथीडीह	भोथीडीह, करमनडीह, कलमीडीह, शिकारीनार, सेमराडीह
31	बिर्रा	सिलादेही	सिलादेही, देवरानी, मौहाडीह
32	तालदेवरी	डभराखुर्द	डभराखुर्द, बनडभरा, सोनादह
33	घिवरा	किकिरदा	किकिरदा, करही
34	पिहरीद	बड़ेरबेली	बड़ेरबेली, बरभाठा, जोगीडीपा, भड़ोरा
35	चरौदा	बड़ेपाडरमुड़ा	बड़ेपाडरमुड़ा, किरारी, चरौदी
36	बडेसीपत		पिरदा
37	छपोरा	पिरदा	अमलीडीह, डोंगरीडीह, भेड़ीकोना
38	नरियरा (मालखरौदा)	देवगांव	देवगांव, मरघटी, रनपोटा
39	सकरेली	डोड़की	डोड़की, बगबुडवा, टोहिलाडीह, जाजंग
40	सोठी (सक्ती)	कनेटी	कनेटी, केरीबंदा, चारपारा, अर्जुनी, सर्जुनी
41	किरारी (सक्ती)	खैरा	खैरा, तुरी, बासीन, पासीद, डडाई, अचानकपुर, जुनवानी
42			जिरलाडीह
43	बरपाली	नगरदा	नगरदा, मानिकपुर, कुरदा, सेन्दरी, पुटेकेला
44	जर्वे (सक्ती)		गुडवा
45	झालरौदा	रायपुरा	रायपुरा, सिरली, हरदी, कुम्हारी पठान, बोईरडीह, तान्दुलडीह, सराईपाली
46	पोरथा	असौदा	असौदा, नन्दौरखुर्द, मल्दी, नन्दौरकला, नावापाराखुर्द
47	पतेरापाली	देवरमाल	देवरमाल, देवरी, जगदल्ली, जगदल्ला, डगबोरा, ढोलनार, पाली, पनारी, बैलाचुआँ, उपकाचुवाँ
48	रगजा	मसनियाखुर्द	मसनियाखुर्द, मसनियाकलॉ, भेड़ापाली, पूजेरीपाली, चमरवाह, जुड़गा
49	सकर्रा	मोहन्दीकलॉ	मोहन्दीकलॉ, नवरंगपुर, गोरखापाली, बसंतपुर, मोहंदिखुर्द, डिकसी, मंद्रागोडी
50	डभरा	कटेकोनी छोटे	कटेकोनी छोटे, तुर्कापाली, छुहीपाली
51	धुरकोट (डभरा)	कंवली	कंवली, ओड़केरा, सराईपाली, डूमरपाली, खैरमुड़ा
52	किरारी (डभरा)	रेड़ा	रेड़ा, साल्हे, खरकेना
53	बड़ेकटेकोनी	कांसा	कांसा, कटौद
54	पुटीडीह	जवाली	जवाली, बुढापुरेना, छवारीपाली
55	बघौद	दर्री	दर्री, बघनीपाली, बिलाईगढ, गिरगिरा, पुजेरीपाली, खैराखुर्द, अमलीपाली
56	अमलडीहा	मड़वा (डभरा)	मड़वा, नवापारा, हरदी, भैंसामुहान, सिरौली, बोरसी
57	ससहा	धनगांव	धनगांव, हिर्री, सिर्री
58	तुषार	कुटराबोड़	कुटराबोड़, छिर्राडीह, बोईरडीह, खैरझिटी, हरेटीकला
59		नंदेली	नंदेली, गलगलाडीह, गुचकुलिया,

			पांडाहरदी
60	कचंदा (जैजैपुर)	हरदीडीह	हरदीडीह, अमलीडीह, रीवाडीह, आमाकोनी
61	घोघरी	नवापारा (मालखरौदा)	नवापारा, खर्री, बरभांठा, कुरदी
62	चंद्रपुर	कलमा	कलमा, चंदली, बिलाईगढ़, परसदा, बिरहाभांठा, महादेवपाली, बालपुर
63	फगुरम	करापाली	करापाली, बोकरेल, छतौना, टाटा, खरताल, तौलीपाली, हरदी, झर्रा,
64	देवरघटा (डभरा)	कुसमुल	कुसमुल
65	फरसवानी		लटियाडीह, कौड़िया, चुरतेली
66	मालखरौदा	मुक्ता	मुक्ता, जमगहन, किरकार, चिखली, दलालपाली
67	सिंघरा	बेल्हाडीह	बेल्हाडीह, कनाईडीह, चारपारा, चांटीपाली, बड़ेकोट
68	कापन	खटोला	खटोला, बरगंगा, खोंड़, महमदपुर
69	बाराद्वार	बाराद्वार बस्ती	बाराद्वार बस्ती, पलाडीखुर्द, सकरेली(ब)
70	पोता	सोनादुला	सोनादुला, सुलौनी, कटारी, पिकरीपार, सुकलीपाली, औरदा
71	बम्हनीडीह	अफरीद	अफरीद, मुड़पार, पचौरी
72		झर्रा	झर्रा, मोहगांव, भंवरेली, परसापाली, सरवानी
73	देवरघटा	सिंधीतराई	सिंधीतराई, निमोही, बेनीपाली, कठरपाली, उचपिंडा, बांधापाली
74	सिउड़	धाराशिव	धाराशिव, ठाकुरदिया, बरबसपुर
75	आमनदुला	भठोरा	भठोरा, सारसडोल, नवागांव
76	पुटीडीह	सकराली	सकराली
77	सपोस		साराडीह

अनुसूची – तीन

क्र	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिमाणी सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	रसौटा	महका	राहौद	
		पकरिया, रीवापार		पकरिया (पामगढ़)
2	भैंसतरा	कटनई	कोटगढ़	
		हरदी, नवापारा, बिरकोनी, सरईपाली, सुवरमाल, साजापाली, बरपाली		हरदी
3	मुक्ता (जैजैपुर)	अरसिया	जैजैपुर	
		डोमाडीह	धिवरा	
		सेंदरी, परसाडीह, घोड़ाडीपा		सेंदरी
4	सपोस	मुक्ता, सुरसी	अमलडीहा	
		बारापीपर, मेड़ापाली, गाड़ापाली, फलियामुंडा,		बारापीपर
5	कड़ारी	बघौदा	कुम्हारीकला	
		झरना, भुरकाडीह, खम्हीया		झरना
6	गिधौरी	कचंदा		
7	पामगढ़	चेउरडीह	मेंऊ	
		झुलन	भैंसों	

		भदरा, कुटराबोड़		भदरा
8	कोटगढ़	परसाहीनाला	पोड़ीदल्हा	पकरिया (अकलतरा)
		कल्याणपुर		
9	करूमहू	पकरिया, रसेड़ा, दर्शी, लटिया		
10	हसौद	चिस्दा, पेण्ड्री, देवरीमठ, बरेकेलकला, डोटमा	—	चिस्दा
11	कैथा	झरप, नगारीडीह		
		जुनवानी	ओड़ेकेरा	-